न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 484/2025
वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

1. रविन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति स्वामी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. आनन्द प्रकाश पुत्र नरसिंह दास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी नगराना हाल आबाद हनुमानगढ़ जंक्‍ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र नरसिंह दास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी नगराना हाल आबाद हनुमानगढ़ जंक्‍ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र नरसिंह दास जाति बैरागी (स्वामी) निवासी नगराना हाल आबाद संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
5. तहसीलदार(राजस्व) टिब्बी

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1. श्री प्रमोद डेलू –वकील वादीगण
2. श्री संदीप कुमार –वकील प्रति.सं.1ता3

निर्णय **दिनांक :–** 13.11.2025

वादीगण रविन्द्र कुमार वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 25.08.2025 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75 में 1/3 हिस्सा एवं तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस.बी.एन. के खाता सं. 117/103 जं.सं. 2072–75 में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु परिवार की विरासतन् कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ही पारिवारिक सौहार्द बनाये रखने एवं आपसी रजामन्दी से एवं भूमि एकीकरण के उददेश्य से वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित तहसील संगरिया के चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75 में 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त हो गई है तथा वादीगण उक्त कृषि भूमि का निरन्तर व निर्विवाद काश्त करते आ रहे है। वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार है :–

वादीगण को प्राप्त ब.हि.ब. कृषि भूमि :– चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75

सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/213	10	4/0.253 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला 7/0.253 है.
177/213	9	15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला 1,10,11/0.253 है.प्र.

कुल 1.949 है. नहरी कृषि भूमि व 0.075 है. गै.मु. खाला कुल 2.024 है. मय गै.मु.।

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण की विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण को काफी अरसा पूर्व घरू बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है। वादीगण चरण सं. 3 में अंकित कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज है। जिसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद नहीं है। वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार 2.024 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा एवं खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का आपसी सहमति से दिनांक 16.10.2025 को राजीनामा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 5 जवाब स्टेट पेश कर राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी तहसील संगरिया के चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75 एवं तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस. बी.एन. के खाता सं. 117/103 जं.सं. 2075–78 पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक वादी ने विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 62/53 जं.सं. 2068–71 एवं तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस.बी.एन. के खाता सं. 51/54 जं.सं. 2065–68 पेश जमाबन्दी पेश हुई जिसका वकील प्रतिवादी ने कोई विरोध दर्ज नही करवाया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी तहसील संगरिया के चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75 एवं तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस.बी.एन. के खाता सं. 117/103 जं.सं. 2075–78 पेश कृषि भूमि वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि है जिस पर वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व है। बहस में वकील प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का राजीनामा पेश हो चुका है। अभिभाषक वादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वाद में अन्य किसी तरफ का विरोधाभास नही है।

न्यायालय के मत में वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी किया जाना उचित है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण राजीनामा के आधार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया/टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार है :–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादीगण सं. 1 व 2 क्रमशः रविन्द्र कुमार, भूपेन्द्र कुमार के कब्जा काश्त एवं हक–हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि

चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/213	10	4/0.253 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला 7/0.253 है. 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला
177/213	9	1,10,11/0.253 है.प्र.

कुल 1.949 है. नहरी कृषि भूमि व 0.075 है. गै.मु. खाला कुल 2.024 है. मय गै.मु.।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 आनन्द प्रकाश के कब्जा काश्त एवं हक–हिस्सा की कृषि भूमि

तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस.बी.एन. खाता सं. 117/103 जं.सं. 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/207	72	11/0.253 ,12/0.253, 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 17/0.253 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253, 22/0.253, 23/0.253 है.।
183/207	71	20/0.253 है.

कुल 2.530 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि।

(ग) प्रतिवादी सं. 2 ओम प्रकाश के कब्जा काश्त एवं हक–हिस्सा की कृषि भूमि

तहसील टिब्बी के चक नं. 10 एस.बी.एन. खाता सं. 117/103 जं.सं. 2075–78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/207	72	21/0.253 है.
182/208	73	1,2,10/0.253 है.प्र.

कुल 1.012 है. कृषि भूमि।

चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 118/108 जं.सं. 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/212	7	16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 17/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. गै.मु. खाला,
177/212	8	21/0.253 है.

कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया